


सार्वजनिक सूचना

न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद में स्कैप के रूप में रखे हुए लकड़ी की चौखट, विद्युत पैनल व अन्य निष्प्रयोज्य सामान तथा पाईप, एंगल व अन्य लोहे का निष्प्रयोज्य सामान का टेका छोडे जाने हेतु दिनांक 15 जुलाई, 2023 की सांय 04.00 बजे मुख्य न्यायालय भवन के भू तल पर स्थित सेन्ट्रल हॉल में नीलामी खुली बोली के द्वारा की जायेगी। उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामान मुख्य न्यायालय परिसर में स्थित है तथा सामान जैसी स्थिति में है, वैसा ही नीलाम किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्यदिवस में उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामान का निरीक्षण न्यायालय परिसर, राजनगर में किया जा सकता है।

नीलामी सम्बन्धी शर्ते एवं अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के नजारात कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाताओ को प्रत्येक टेके हेतु बोली लगाने से पूर्व अंकन 1,00,000/- (एक लाख) बैंक ड्राफ्ट, जो कि जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के पक्ष में हो, धरोहर धनराशि के रूप में जमा करानी होगी।


अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-14, गाजियाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित :-

- 1- नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद ।
- 2- नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।
- 3- नोटिस बोर्ड, नगर निगम, जनपद गाजियाबाद ।
- 4- तहसीलदार, सदर, जनपद गाजियाबाद ।
- 5- नोटिस बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
- 6- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
- 7- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।